



वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand (India)

Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक: 4573/वी.एम.एस.बी. यूटीयू/2024

दिनांक: 14 / 03 / 2024

॥ कार्यालय ज्ञाप ॥

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या F.13/2022(CPP-II) दिनांक 17 जनवरी, 2024 के क्रम में University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations 2023 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के बिन्दु संख्या 6 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में लोकपाल (Ombudsperson) नियुक्त किया जाना प्राविधानित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2023, के बिन्दु संख्या 6 के उपबिन्दु 3, 5 एवं 7 में लोकपाल (Ombudsperson) नियुक्त किये जाने हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी है जो कि निम्नवत् हैं:-

- (iii) The Ombudsperson shall be a retired Vice-Chancellor or a retired Professor (who has worked as Dean/HOD) and has 10 years experience as a Professor at State/Central Universities/Institutions of National Importance/Deemed to be Universities or a former District Judge.
- (v) The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he/she attains the age of 70 years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for another one term.
- (vii) The University may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or misbehavior.

उपरोक्त के अनुसार प्रो० दिनेश कुमार नौरियाल (Prof. Dinesh Kumar Nauriyal), पूर्व कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को तीन वर्ष अथवा उनकी 70 वर्ष की आयु अथवा बिन्दु 6 के सुसंगत प्राविधानों जो भी पहले हो के लिये नामित किया जाता है।

(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ हेतु।
2. विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध एवं परिसर संस्थानों के निदेशकों को समस्त छात्रों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रो० मनीष र. जोशी, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रो० दिनेश कुमार नौरियाल, पूर्व कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल एमिरेटस प्रोफेसर आई.आई.टी. रुड़की को संदर्भित UGC Regulations 2023, दिनांक 11 अप्रैल 2023 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियंत्रक, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. परीक्षा नियंत्रक, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
7. वेब मास्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव